बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

दिनांक 23.03.2016 को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित समाचार "जेल में सुलेखा ने खाया राजबल्लभ का नमक" के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस त्रिसदस्यीय जाँच समिति के द्वारा जाँच कर जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा ने अपने पत्रांक 1944/गो. दिनांक 25.03.2016 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समंतव्य समर्पित किया है।

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त कई प्रकार की अनियमिताएँ पाई गई है, जिनमें कारा में प्रावधान के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश/अनुमति प्राप्त किये कारा के अंदर बाहरी कारीगर (cooks) को कारा के अन्दर जाने देना तथा काफी बड़ी मात्रा में सामग्रियों का बिना गेट पंजी में प्रविष्टि के जेल में प्रवेश कराना बिहार कारा हस्तक के नियम संख्या–828 (iii) के प्रावधानों का खुला उल्लधंन है।

3. अतः उक्त गंभीर अनियमितताओं के आलोक में श्री रमेश कुमार, कक्षपाल एवं श्री राम लखन यादव, कक्षपाल दोनों मंडल कारा, बिहारशरीफ को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में संलग्न किया जाता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न किये गये कारा से देय होगा।

5. इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

ह0/–
(आनन्द किशोर)
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/नि.को.(अधी.)01–02/2016 1846 पटना, दिनांक 26 मार्च, 2016।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, नालंदा/अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ/अधीक्षक, मंडल कारा, अररिया/वृताधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, पटना एवं श्री रमेश कुमार, कक्षपाल एवं श्री राम लखन यादव कक्षपाल दोनों निलंबित मंडल कारा, बिहारशरीफ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक, मंडल कारा, बिहारशरीफ को निदेश है कि उक्त दोनों कक्षपालों को अविलम्ब शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में योगदान करने के लिए विरमित करें तथा इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें।

26/3/16

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।